भीम BHIM

150

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

क्रमांकः–एफ3(2)( )बजट/मुख्य/सान्याअवि/2020–21 / 5401 जयपुर, दिनांकः 23/02/2021

समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक,
समस्त जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु आधिक्य/बचत की सूचना प्रेषित करने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के समापन को दृष्टिगत रखते हुये निर्देशित किया जाता है कि other than scheme के लेखाशीर्षों में आधिक्य/बचत की सूचना सलंग्न प्रारूप में दिनांक **26.02.2021** तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आधिक्य/बचत की सूचना जिला स्तरीय कार्यालयों के माध्यम से नियत दिनांक तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। सूचना प्रेषित नहीं किये जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु किसी प्रकार के दायित्व बकाया रहने की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष स्वयं जिम्मेवार होगें। सूचना ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ3(2)( )बजट/मुख्य/सान्याअवि/2020–21 / 5402–03 जयपुर,दिनांकः 23/02/2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. संयुक्त निदेशक (आइ.टी.) पत्र को विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं उपरोक्त समस्त कार्यालयों को ई –मेल कराने का श्रम करावे।
2. रक्षित पत्रावली।

23/2/21

(आर.एल.परसोया)
वित्तीय सलाहकार

C:\Users\sjed\Desktop\Desktop Data\Desktop file all\Letter.doc

क्र. स.	लेखाशीर्ष	ऑब्जेक्ट हैड	वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि	दिनांक 22.02.2021 तक व्यय राशि	दिनांक 31.03.2021 तक संभावित कुल व्यय राशि	अतिरिक्त मांग (+)	समर्पण /बचत(-)
01	02	03	04	05	06	07 कॉलम(6–4)	कॉलम(6 - 4)
1	2225–01–196–06–00	01–संवेतन 02–मजदूरी 03–यात्रा व्यय 04–चिकित्सा व्यय 05–कार्यालय व्यय 08–वृत्तिक एवं विशिष्ठ सेवांए 09–किराया,रेट,रॉयल्टी 36–वाहन किराया 37–वर्दियां 41–संविदा व्यय					
2	2235–02–197–01–01	01–संवेतन 03–यात्रा व्यय 04–चिकित्सा व्यय 05–कार्यालय व्यय 62–कम्प्यूटराईजेशन*					

ब्लॉक कार्यालयों हेतु निदेशालय स्तर से जिस माह तक मशीन विद मैन रखने की स्वीकृति जारी की गयी है तदनुसार ही बजट मांग की जावे।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष